

सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 6ठा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001, द्वारा की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या जी0आई0-100/14-02-2005-61/2006 दिनांक 23.02.2006 तथा भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या एफ0सी0-11-9/98 दिनांक 21.09.2005 के निर्देशों के अनुपालन एवं निम्न प्रतिबन्धों पर सहमति दी जाती है -

1. भूमि के उपयोग के बाद उसके मूल स्वरूप में लाने का उत्तर दायित्व पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 6ठा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद- 211001, की होगी।
2. इस कार्य से वन सम्पदा/पर्यावरण की यदि कोई क्षति होती है तो पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 6ठा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001, द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
3. भारत सरकार, के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
4. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं वन विभाग द्वारा राजकीय हित में लिये गये निर्णय पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 6ठा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001, को स्वीकार होगा।
5. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 6ठा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001, द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य किया जायेगा।
6. समस्त कार्य अनुमति प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

दिनांक : 26-10-2016

स्थान : इलाहाबाद


वाई0 पी0 सिंह / Y. P. Singh
सहा0 महा प्रबन्धक / Asstt. General Manager
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD
6ठा तल इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
6th Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad